राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-**2869/2012**

रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि.

बनाम

इश्तयाक अहमद खान एवं अन्य

आदेश दिनांक **04** अक्टूबर, **2017**

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल अधिवक्ता अपीलार्थी-बीमा कम्पनी की ओर से
श्री संदीप माथुर अधिवक्ता- प्रत्यर्थी-क्लेमेंट की ओर से

--

प्रत्यर्थी-क्लेमेंट की ओर से प्रस्तुत आवेदन संख्या-30207/2017 पर सुना गया ।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अधिवक्ता प्रत्यर्थी- क्लेमेंट श्री संदीप माथुर ने निवेदन किया है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2013 के द्वारा पंचाट की 25 प्रतिशत राशि ही पंचाट की शर्तों के अनुसरण में क्लेमेंट को अदा करने के आदेश दिये गये थे तथा शेष 75 प्रतिशत राशि को स्थाई जमा में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने 25 प्रतिशत राशि में से अधिकतर राशि स्थाई जमा में जमा करा दी है, जिससे प्रत्यर्थी-क्लेमेंट उक्त राशि का उपयोग नहीं कर सके । अत: स्थाई जमा में जमा करायी गयी राशि प्रत्यर्थी-क्लेमेंट के बचत खाते में जमा करवायी जावे, जिससे कि वह उसका उपयोग कर सके, जिसमें विद्वान् अधिवक्ता बीमा कम्पनी को कोई आपत्ति नहीं है।

तदनुसार इस आवेदन का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि आदेश दिनांक 21.01.2013 के अनुसरण में जो 25 प्रतिशत राशि अदायगी का आदेश प्रत्यर्थी-क्लेमेंट के पक्ष में किया गया है, उसमें से जो राशि स्थाई जमा में जमा करायी गयी है, वह प्रत्यर्थी-क्लेमेंट के बचत खाते के मार्फत अदा कर दी जावे।

तदनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(न्या0 बनवारी लाल शर्मा **)**

अनिलशर्मा/M-59

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते